सं. एसवाई-13017/4/2017-एसबीआर

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

(एसबीआर अनुभाग)

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

दिनांक 23 अक्तूबर, 2020

अधिसूचना

विषय : मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करना - सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किए जलयानों की चार्टरिंग हेतु दिशानिर्देशों के संशोधन के जरिए भारत में निर्मित एवं भारतीय ध्वज के पोतों के लिए आरओएफआर।

जबकि, आय और रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में सामानों के निर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना भारत सरकार की एक स्पष्ट नीति है। इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने दिनांक 15.06.2017, 28.05.2018 और 04.06.2020 को सार्वजनिक खरीद एवं 'मेक इन इंडिया' आदेश जारी किए थे।

2. जबकि, भारत सरकार ने विशेष रूप से पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-20126) के तहत पोत निर्माण के लिए दीर्घकालीन सब्सिडी प्रदान करते हुए भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी भारतीय शिपयार्डों, रक्षा शिपयार्डों को छोड़कर, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में 150 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान चिह्नित किया है।

3. जबकि, भारत में निर्मित पेतों को अतिरिक्त बाजार पहूंच और व्यापार समर्थन प्रदान करते हुए भारत सरकार पोत निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहती है।

4. जबकि, यह महसूस किया गया है कि यदि भारत में निर्मित, भारत में फ्लैग किए गए और भारतीयों के स्वामित्व वाले पोतों की चार्टरिंग को प्राथमिकता दी जाती है, तो भारत में निर्मित पोतों की मांग को बढ़ाया जा सकता है।

5. जबकि, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के तहत मौजूदा लाइसेंसिंग शर्तों के अंतर्गत, जब भी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किसी जलयान की चार्टरिंग की जाती है, तो भारतीय ध्वज पोतों को पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) उपलब्ध है।

6. जबकि, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग शर्तों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूत होती है (i) भारत सरकार की मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने की नीति, (ii) डीआईपीपी द्वारा दिनांक 15.06.2017 और 28.05.2018 एवं 04.06.2020 को जारी सावर्जनिक खरीद एवं मेक इन इंडिया आदेश, (iii) घरेलू पोत निर्माण एवं पोत परिवहन उद्योग को दीघ्रकालीन कार्यनीतिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, (iv) घरेलू पोत निर्माण उद्योग को समर्थन देने के लिए घरेलू पोत परिवहन उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता, और (v) देश के समग्र दीघ्रकालिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के लिए इन प्रमुख उद्योगों में आत्म-निर्भरता एवं सुदृढ़ तालमेल विकसित करने की आवश्यकता।

7. इस मंत्रालय के दिनांक 20.07.2020 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 13.02.2019 की 'मेक इन इंडिया' अधिसूचना को वापस लिया गया था। नौवहन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 07.08.2020 को डीजी (एस) का दिनांक 22.03.2019 का परिपत्र भी वापस लिया गया था। डीजी (एस) द्वारा शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन नैशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन के साथ परामर्श भी किए गए थे और सहमति पर पहूंचने के बाद अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि किसी जलयान के किसी भी प्रकार की चार्टरिंग के लिए, जो निविदा प्रक्रिया से की जाती है, निम्नलिखित रूप से पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) निष्पादित किया जाएगा:-

(i) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वज वाले और भारतीय के स्वामित्व वाले

(ii) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वज वाले और भारतीय के स्वामित्व वाले

(iii) भारत में निर्मित, विदेशी ध्वज वाले और विदेशी स्वामित्व वाले

बशर्ते कि:

(क) नौवहन महानिदेशालय द्वारा नये परिपत्र के जारी करने की तिथि तक भारत के ध्वज (अर्थात भारत में पंजीकृत) को प्रदर्शित करने वाले सभी जलयानों को भारत में निर्मित जलयान समझा जायेगा और वे उपरोक्त श्रेणी (i) में आयेंगे, तथा

(ख) भारतीय ध्वज के तहत पंजीकृत करवाने हेतु भारतीय शिपयार्ड में पोत निर्माण कराने वाले किसी भारतीय नागरिक /कंपनी/ सोसाइटी द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अंतर्गत महानिदेशक (नौवहन) द्वारा अनुमोदित विदेशी ध्वज जलयानों, को निर्माणाधीन भारतीय पोत के अस्थाई एवजी के रूप में किराये पर लेने हेतु, जो निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करते हैं, को उपरोक्त श्रेणी (i) में समझा जायेगा:
(क) भारतीय शिपयार्ड को करार धन के 25% का भुगतान कर दिया गया है।
(ख) किसी मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि 50% खोल संरचना पूरी हो चुकी है।

ऐसे चार्टर्ड जलयान की लाइसेंस अवधि पोत के निर्माण होने की अवधि के लिए सीमित होगी, जैसा कि पोत निर्माण करार में उल्लिखित है।

8. आगे, विदेशी ध्वज पोत जलयानों के इन-चार्टर संबंधी सभी पूछताछों पर आरओएफआर (पहले अस्वीकार करने का अधिकार) खरीद वरीयता (मूल्य बैंड) के 20% मुनाफे तक लागू होगा, अर्थात् किसी भारतीय कंपनी द्वारा उद्धृत मूल्य, खरीद वरीयता के उद्धेश्य से एल 1 की अधिकतम सीमा तक हो सकता है।

9. उपरोक्त आर ओ एफ आर लाइसेंसीकरण शर्तें इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी हो जायेंगी। संशोधित लाइसेंसीकरण शर्तों के कार्यान्वयन हेतु प्रासंगिक पोत परिवहन विकास परिपत्रों के आवश्यक संशोधनों को नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया जायेगा। संशोधित लाइसेंसीकरण शर्तों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

10. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के कारण होने वाली किसी भी शिकायत को नौवहन महानिदेशक को भेजा जाएगा।

11. इसे माननीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दशरथ प्रसाद
23/10/2020

(दशरथ प्रसाद)
निदेशक
दूरभाष सं.11-23321672
ईमेल: prasad.dashrath@gov.in

सेवा में,

नौवहन महानिदेशक, मुंबई - उपरोक्त विषय पर वर्तमान में प्रभावी पहले के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में नए परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित-

1. पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अपर निजी सचिव
2. सी ई ओ, नीति आयोग
3. सचिव,रक्षा विभाग, साउथ ब्लॉक , रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
4. सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
5. सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001
6. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ए-विंग, शास्त्री भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
7. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ए-विंग, शास्त्री भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
8. सचिव, इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, डॉ मौलाना आज़ाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
9. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001
10. सभी हितधारक/सभी चार्टर/शिपर्स/सभी भारतीय नौवहन कंपनियाँ
11. आईएनएसए/भारतीय शिपयर्ड्स असोसियेशन/सीएसएल/एसबीए/आईसीएसएसए/एफओएसएमए/एमएएसएसए,मुंबई

प्रति निम्न को भी-

सचिव(पोत परिवहन) के निजी सचिव/अपर सचिव(पोत परिवहन) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव(पोत परिवहन) के निजी सचिव